संख्या-80/2017/2065/22-2-2016-17(392)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 02 फरवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मोलहेराम, निवासी जनपद सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मोलहेराम, ग्राम वंशीपुर, थाना-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08-11-2001 को रमेश नामक व्यक्ति को बांके से मारकर हत्या कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-121/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 504, 506 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 कोर्ट न0-5, सीतापुर द्वारा दिनांक 15-03-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-05-2016 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.09.2016 तक 14 वर्ष 10 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 08-11-2001 को रमेश नामक व्यक्ति को बांके से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मोलहेराम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इसी प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट पिटीशन (क्रिमिनल) सं0-20420/2016 कन्हैया लाल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-08-2016 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कन्हैया लाल (बन्दी संख्या-45273) पुत्र श्री मोलहेराम, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2017/2065(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-80/2017/2065@22-2-2016-17(392)/2016

दिनांक 02 फरवरी, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध बन्दी कन्हैया लाल (बन्दी संख्या-45273) पुत्र श्री मोलहेराम, ग्राम वंशीपुर, थाना-महमूदाबाद, जनपद-सीतापुर का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 08-11-2001 को रमेश नामक व्यक्ति को बांके से मारकर हत्या कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-121/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 504, 506 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 कोर्ट न0-5, सीतापुर द्वारा दिनांक 15-03-2004 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27-05-2016 को सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 29.09.2016 तक 14 वर्ष 10 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 19 वर्ष 00 माह 23 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया है कि बन्दी द्वारा दिनांक 08-11-2001 को रमेश नामक व्यक्ति को बांके से मारकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी कन्हैया लाल पुत्र श्री मोलहेराम, निवासी जनपद-सीतापुर को फार्म-'ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।